11.09.2023:—आज पत्रावली पेशी मे आई। वादी अधिवक्ता हिदायत पेरवी नही होन के कारण मुल वादी—पत्र खाारिज हो चुका है। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना—पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर ही खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.09.21 19:27:05 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़